आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर

15.04.2024 समय : 1850

- भारतीय जनता पार्टी ने आज स्थानीय स्तर पर संकल्प पत्र जारी किया—संकल्प पत्र में बिजली, पानी, सड़क के साथ द्वीपवासियों की आशा और आकांक्षाओं का ध्यान रखा गया है।
- द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर विभिन्न प्लेटफार्मों पर चल रही भ्रामक खबरों पर आम जनता को आगाह किया है।
- उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के लिए परामर्श जारी किया गया है।
- अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में इस बार के चुनाव में मत प्रतिशत में वृद्धि के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं और विभिन्न स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है।
- द्वीपसमूह के सभी स्कूलों में दो मई से गर्मी की छुट्टी रहेगी।

<><><><><><><>

प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज आगामी लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी किया गया। पोर्ट ब्लेयर में मीडिया के समक्ष संकल्प पत्र जारी करते हुए भाजपा के उम्मीदवार बिष्णु पद रे ने कहा कि ये संकल्प पत्र सिर्फ चुनावी वादा नहीं है, बल्कि जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है और इसी संकल्प पत्र के आधार पर पार्टी द्वीपवासियों के लिए काम करते रहेगी। उन्होंने कहा कि द्वीपवासियों को नियमित रूप से जलापूर्ति हो, इसके लिए जल प्रबंधन पर मास्टर प्लान बनाया जाएगा और जरूरत पड़े, तो धन्नी खाड़ी बांध के विकल्प के रूप में गुप्तापाड़ा नाला बांध को पुनः शुरू किया जाएगा। चौबीसों घंटे पूरे द्वीपो में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और बिजली के दरों को भी तर्कसंगत बनाया जाएगा। भू—राजस्व से जुड़े मुश्किलों को हल किया जाएगा, ताकि द्वीपवासियों के जीवन को सुगम बनाया जा सके। चाथम—बम्बूफ्लाट पुल के अलावा द्वीपसमूह में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने और बेरोजगारों के हितों का संरक्षण करने के लिए काम किया जाएगा। सभी तहसीलों में आधुनिक मार्केट ढांचों का निर्माण होगा। कोपरा के एमएसपी के मामलों का समाधान किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना में सुधार करते हुए इसमें अंतरद्वीपीय और मुख्यभूमि की यात्रा के दौरान आने वाले खर्च को शामिल किया जाएगा। हवाई किराए को तर्कसंगत बनाया जाएगा। छूट गए विस्थापितों को ओ बी सी के श्रेणी में लाने का प्रयास किया जाएगा। वृद्धजनों को मिलने वाले पेंशन की राशि में वृद्धि करने का प्रयास किया जाएगा। खेलों को बढ़ावा देने के लिए इस पर विशेष जोर रहेगा। आदिवासी क्षेत्र में बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत जरूरतों को पूरा किया जाएगा। संकल्प पत्र में तीनों जिले में रहने वाले लोगों के सर्वांगीण विकास और कल्याण के लिए कई वायदे किए गए हैं। इस अवसर पर संकल्प पत्र प्रबंधन समिति के डॉ. आर. देवदास, गिरीश अरोड़ा, आर. मूर्ति और संजय बालन ने भी मीडिया के सवालों का जवाब दिए।

<><><><><><><>

द्वीपों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी बी एस जगलान ने मतदाता सूची में नाम शामिल करने को लेकर विभिन्न प्लेटफार्मों पर चल रही भ्रामक खबरों पर आम जनता को आगाह किया है। उन्होंने आज बताया कि आम चुनाव दो हजार चौबीस के लिए अंतिम मतदाता सूची को अंतिम रूप दे दिया गया है और इसे इस वर्ष सत्ताईस मार्च को प्रकाशित भी कर दिया गया है। इसके बाद अब छः जून तक यानी चुनाव अवधि तक कोई भी नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। हालांकि अट्ठारह वर्ष से अधिक उम्र के पात्र मतदाता,

मतदाता सूची में अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उनके आवेदन को छः जून के बाद ही स्वीकार किया जाएगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने आम जनता से अनुरोध किया है कि वे इस तरह के भ्रामक खबरों पर ध्यान न दें। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष सत्ताईस मार्च को प्रकाशित मतदाता सूची के अनुसार इस आम चुनाव में तीन लाख पन्द्रह हजार एक सौ अड़तालीस मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल हैं। इनमें एक लाख चौंसठ हजार बारह पुरूष और एक लाख इक्यावन हजार एक सौ बत्तीस महिला मतदाता हैं। चार ट्रांसजेन्डर भी हैं। लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो पिछले चुनाव में आठ सौ छियासी के मुकाबले इस बार नौ सौ इक्कीस है। इसका मतलब महिला मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। श्री जगलान ने बताया कि अट्ठारह से उन्नीस वर्ष आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या पांच हजार तीन नौ उन्नीस है, जबकि बीस से उनतीस वर्ष आयु वर्ग के पैंसठ हजार सात सौ छः मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में है। तीस से उन्यासी वर्ष के दो लाख इकतालीस हजार तीन सौ बत्तीस और पचासी वर्ष से अधिक के एक हजार सैंतीस तथा दो हजार चार सौ बाईस दिव्यांग मतदाता है।

<><><><><><>

उन्नीस अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए मतदाताओं के लिए भी परामर्श जारी किया गया है। भारतीय चुनाव आयोग की ओर से जारी सख्त निर्देश में कहा गया है कि मतदान केन्द्र के भीतर मोबाइल फोन, वायरलेस फोन सेट की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मतदान केन्द्र के सौ मीटर की परिधि में भी इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा, ताकि मतदान प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखा जा सके। द्वीपसमूह के सभी मतदाताओं से अपील की गई है कि वे निर्देश का पालन करें। उन्नीस अप्रैल को सुबह सात बजे से शाम छः बजे के बीच मतदान कराया जाएगा। मतदान समाप्त होने तक के समय तक पंक्ति में खड़े मतदाताओं को वोट डालने दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग पंक्ति होगी। वरिष्ठ नागरिकों को मतदान में प्राथमिकता दी जाएगी। नेत्रहीन और दुर्बल मतदाता अपने साथ एक प्रौढ़ साथी को मतदान क्षेत्र में अपने मतदान की रिकॉर्डिंग कराने के लिए साथ ले जा सकते हैं। उम्मीदवारों द्वारा किसी भी मतदाता को पैसे या अन्य उपहार देने को कानून के तहत भ्रष्ट श्रेणी में रखा गया है। पहचान के लिए मतदाता फोटो मतदाता पहचान पत्र या आयोग की ओर से प्रमाणित वैकल्पिक बारह दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज साथ रख सकते हैं।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह में इस बार के चुनाव में मत प्रतिशत में वृद्धि के लिए भरसक प्रयत्न किए जा रहे हैं और विभिन्न स्तर पर मतदाताओं को जागरूक किया जा रहा है। द्वीपों के निर्वाचन अधिकारी अर्जुन शर्मा ने दक्षिण अंडमान जिले के होटेलियर्स और रेस्तरां एसोसिएशन के साथ बातचीत की। एसोसिएशन ने उन्नीस अप्रैल की शाम से लेकर बीस अप्रैल तक अपने–अपने होटलों और रेस्तरां में खाने के बिल पर दस से बीस प्रतिशत छूट देने की घोषणा की। ये रियायत उन लोगों को दी जाएगी, जो आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। रियायत पाने के लिए मतदाताओं को उनके उंगली में लगे मतदाता इंक को दिखाना होगा।

उधर, श्री अर्जुन शर्मा ने टैक्सी और ऑटो रिक्शा एसोसिएशन के साथ भी मुलाकात की। एसोसिएशन ने दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को मतदान केन्द्र तक निशुल्क यात्रा करवाने के लिए अपनी सहमति दी। एसोसिएशन से कहा गया कि वे चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें और किसी भी तरह की भ्रष्ट गतिविधियों में शामिल न हो।

<><><><><><>

अंडमान निकोबार द्वीपसमूह के स्कूलों में गर्मी की छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। दो मई से द्वीपों के सभी सरकारी, निजी सहायता प्राप्त और बिना सहायता प्राप्त स्कूलों में तीस जून तक अवकाश रहेगा। एक जुलाई को सभी स्कूल पुनः खुल जाएंगे। चुनाव ड्यूटी में लगे अधिकारी या शिक्षा विभाग या प्रशासन की ओर से दिए गए कार्यों में तैनात अधिकारियों को अपनी ड्यूटी के लिए स्टेशन में ही रहना होगा। ऐसे सभी अधिकारियों को नियमों के तहत ई.एल मिलेगा।

<><><><><><><>

फुड प्रोडक्शन और फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन्स में डिप्लोमा के लिए बोर्ड परीक्षा मई और जून में ली जाएगी। वर्ष बाईस–तेईस बैच के नियमित और दो हजार इक्कीस से बकाया पेपर के सभी पात्र उम्मीदवारों से उन्नीस अप्रैल तक निर्धारित परीक्षा शुल्क और भरे हुए परीक्षा फार्म डीब्रेट के अकादमिक प्रकोष्ठ में जमा करने को कहा गया है। परीक्षा की तिथि के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी।

<><><><><><><>